

	<p>(2) निम्नलिखित चीजें क्रेडिट होकर द्वीप परिषद निधि का भाग बनेंगे, अर्थात्;</p> <p>(क) धारा – 75 के अंतर्गत लागू टैक्स या फीस के रूप में प्राप्त राशि;</p> <p>(ख) सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिया गया अंशदान;</p> <p>(ग) किसी प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा द्वीप परिषद निधि में जमा करने के लिए आदेशित सभी राशि;</p> <p>(घ) प्रतिभूतियों में निवेश की गई द्वीप परिषद निधि से प्राप्त आय;</p> <p>(ङ.) भू-राजस्व अथवा सरकार के अन्य शुल्कों से प्राप्त शेयर;</p> <p>(च) ऋण अथवा उपहार के रूप में प्राप्त सभी राशि;</p> <p>(छ) द्वीप परिषद के प्रबंधन के अंतर्गत मत्स्य क्षेत्र से प्राप्त आय;</p> <p>(ज) द्वीप परिषद के किसी सम्पत्ति से प्राप्त राशि के रूप में आय;</p> <p>(झ) द्वीप परिषद के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा की गई सभी धूल, मिट्टी गोबर, कूड़ा से प्राप्त धनराशि;</p> <p>(ञ) प्रशासक के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा द्वीप परिषद निधि में दी गई राशि;</p> <p>(ट) द्वीप परिषद निधि से या द्वीप परिषद द्वारा प्रबंधित अनुरक्षित वित्तपोषित किसी संस्थान या सेवा के लिए सहायतार्थ या खर्च हेतु प्राप्त सभी राशि, तथा;</p> <p>(ठ) भारत सरकार द्वारा समेकित निधि से प्राप्त सहायता अनुदान।</p> <p>(3) द्वीप परिषद निधि की राशि इस विनियम के प्रावधानों के अधीन तथा इसके प्रयोजनों के लिए होगी और इसे विहित अनुसार ऐसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ।</p>	
	<p>75. (1) द्वीप परिषद विहित प्रक्रिया के अनुसार तथा ऐसी सीमा के अधीन निम्नलिखित करों, शुल्कों, चुंगी, उपकर तथा फीस की उगाही, प्राप्त, आकलन और निर्धारण करेगा, अर्थात्;</p>	कर, शुल्क आदि की उगाही